पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक / आरोपी राकेश की ओर से श्री आर.एस. त्रिवेदिया अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री बी०एस० बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 91/18 का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक राकेश के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के साथ चाचा जसवंत ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। शपथ पत्र एवं आवेदन में यह बताया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है, इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही अभिलेख से भी स्पष्ट है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना मों ने फरियादिया की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर झूंठा अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। आवेदक का उक्त घटना या अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक को उक्त तथाकथित अपराध में झूंठा फंसाया गया है और आवेदक दिनांक 01.03.2018 से उपजेल गोहद में बंदी है। आवेदक कृषि मजदूर पेशा व्यक्ति है। आवेदक की सरसों की पकी फसल खड़ी हुई है और कटने को है यदि आवेदक ज्यादा दिन तक हिरासत में रहा तो आवेदक की पूरी फसल नष्ट हो जावेगी और उसका पूरा परिवार भूखो मरने की कगार में आ जायेगा। सहअभियुक्त उसके पिता गब्बर सिंह की जमानत का आदेश किया जा चुका है। आवेदक को मामला भी समान है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से घोर आपित्त करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा मूल आपराधिक प्रकरण के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 28.02.18 को शाम 5 बजे के लगभग ग्राम मकाटा में फरियादिया विमला अपने घर के पास पहुंची तब राकेश ने बुरी नियत से उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और अपने घर के अंदर उसका कुर्ता पकड़कर खींचने लगा। चिल्लाने पर फरियादिया का पिता केदार सिंह बचाने आये तथा फरियादिया व उसका पिता दोनों तेजी से अपने घर पर पहुंचे तो राकेश हाथ में हंसिया लिये अपने पिता गब्बर सिंह जाटव तथा चचेरा भाई रानाजीत जाटव के साथ घर के अंदर आ गया और धक्का—मुक्की कर फरियादिया के पिता केदार सिंह तथा फरियादिया के साथ मारपीट करने लगा, चिल्लाने पर तीनों भाग गये तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट विमला के द्वारा थाना मौ में की गई।

अभिलेख में विमला का मेडीकल संलग्न है, जिसके अनुसार उसे कोई जाहिराना चोट नहीं पाई गई। फरियादिया विमला के धारा—164 दं०प्र०सं० के कथन में यह तथ्य है कि राकेश ने उसका हाथ पकड लिया और उसे थप्पड मारे। यह तथ्य नहीं है कि फरियादिया का कुर्ता पकड़कर घर के अंदर खींचने लगा। सह अभियुक्त गब्बर सिंह की जमानत का आदेश इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.18 को किया गया है। आवेदक राकेश दिनांक 01.03.2018 से अर्थात् लगभग 14 दिवस से निरोध में है। मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों तथा आवेदक के कृत्य को देखते हुये तथा उसकी निरोध की अवधि को देखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप आवेदक का जमानत अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया।

अतः आदेशित किया जाता है कि आवेदक राकेश जाटव की ओर से विचारण/संबंधित न्यायालय के समक्ष 30,000/— रूपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किये जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:—

- आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
- 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
- 3. फरार नहीं होगा।
- 4. विचारण में सहयोग करेगा।
- विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि

तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापस भेजा जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर जमानत प्रपत्र अभिलेखागार भेजे जावे।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला मिण्ड